

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर०

महोदय जी, धर्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तहसील पहचान पर आधारित है, आधार कार्ड के आधार पर शंकर कु श्यामचन्द के वजाय शंकरलाल कु श्यामचन्द किया जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक : राजस्व/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है

सरपंच

ग्राम पंचायत केड

प.स. उदयपुरवाटी (सुन्सुन)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	नीरपुरा	2075-78	81 82	शंकर कु श्यामचन्द जाति - मेघवाल	शंकरलाल कु श्यामचन्द जाति - मेघवाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/222

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी